

पंजक,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
बिजनौर

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य

आइ.टी.ई. पब्लिक स्कूल, बिजनौर

पत्रांक- शि0स0-1/मान्यता/ 14 09/93/99-2000 दिनांक- 3/3/2000
विषय- सी0बी0एस0ई0 एवं आई0सी0एस0आई0 की मान्यता की जांच के सम्बन्ध में।
महोदय,

शासनादेश संख्या - 2762/15-13-91-4146/91 दिनांक 30-11-1991
द्वारा प्रदेश में स्थित शिक्षण संस्थाओं को कौन्सिल फार दि इन्डियन स्कूल सीर्टिफिकेट
नई दिल्ली से सम्बन्धित अनुप्राप्त प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित
शर्तें निर्धारित की गई हैं

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जाएगा।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।
शासनादेश संख्या - 3593/15-7-93-168/178/93 दिनांक 23-8-93 द्वारा संशोधन
कर विद्यालय की प्रबन्ध समिति में राज्य सरकार के जिला स्तर के किसी
आधिकारी को संस्था द्वारा सदस्य के रूप में नामित करने की व्यवस्था की गई है।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के
मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/
बोर्ड शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए
निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जाएगी और यदि
पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की
सम्बन्धित सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली / कौन्सिल फार इन्डियन
स्कूल सीर्टिफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा
परिषदों से सम्बन्धित प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य
सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जाएगी।
- 5- संस्था के शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण
संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान
तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जाएंगे।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जाएगी और उन्हें सहायता प्राप्त असास्रीय
उ0मा0व0 के कर्मचारियों के अन्तर्गत सेवा में नए लाभ उपलब्ध करके जाएंगे।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जाएंगे संस्था
उनका पालन करेगी।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जाएगा।

शासनादेश में यह भी निदेश दिये गये हैं कि उक्त शर्तों को सम्बन्धित
संस्थाओं की सोसायटी के बाइलान में उक्त प्रतिबन्धों को समाविष्ट किये जाने हेतु
प्राप्त कार्यवाही किये जाने के उपरान्त ही राज्य सरकार द्वारा अनुप्राप्त प्रमाण
पत्र देने के आदेश निर्गत किये जाएंगे। सोसायटी के बाइलान में यह भी प्राविधान किया
जाएगा कि उक्त शर्तों में बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/परिवर्तन/
संशोधन नहीं किया जाएगा।

उक्त शासनादेश के अनुपालन में आपको सूचित किया जाता है कि
आप नीचे दिये गये प्रत्येक बिन्दु का स्पष्ट उत्तर साक्ष्य सहित तीन-तीन प्रतियों में
दिनांक 15-4-2000 तक इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का कट करे यदि निर्धारित
क्रमांक 2 पर

Handwritten signature and date: 13/3/00

